



## ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन

डॉ० नीलम सौन

अस्सिस्टेंट प्रो० समाजशास्त्र

राजकीय महाविद्यालय काण्डा

भारतीय ग्राम्य जीवन की जब भी बात होती है, तो तपती धूप में खेती करता हुआ किसान, दूर-दूर तक फैले हुए खेत और उन पर लहलहाती हरी-भरी फसल स्वतः ही मन मस्तिष्क पर उभर आते हैं। भारत जो कि एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, जिसका एक बहुत बड़ा भाग आज भी गाँवों में ही निवास करता है। गाँवों का विकास किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश में जहाँ राष्ट्र की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, वहाँ यह और भी आवश्यक हो जाता है। ग्रामीण भारत को ही भारतीयता की पहचान माना जाता है। समृद्ध गाँव ही समृद्ध भारत की पृष्ठभूमि है। देश का सर्वांगीण विकास ग्रामीण विकास से ही सम्भव है। एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में भारत का लक्ष्य एवं उत्तरदायित्व है कि वो अपने करोड़ों ग्रामीण नागरिकों के कल्याण एवं समृद्धि पर ध्यान दे तथा उनके प्रति प्रतिबद्ध रहे। ग्रामीण विकास स्वतन्त्रता के बाद से देश के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही देश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनेक नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाए जाते रहे हैं, तथा ग्रामीण विकास ही भारत में नियोजित विकास का प्राथमिक उद्देश्य रहा है। समय-समय पर योजनाओं का सुदृढ़ क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किये गये हैं। ग्रामीण विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो ग्रामीण व्यक्तियों के विशेषतः ग्रामीण गरीबों के सतत उन्नयन की ओर प्रशस्त होती है। भारत की लगभग 72.2 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गाँवों में निवास करती है जनसंख्या के इतने बड़े भाग की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान किये बिना हम कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते, इसी कारण भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही ऐसी योजनाओं की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जिनके द्वारा ग्रामीण समुदाय में व्याप्त अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि के पिछड़ेपन, गन्दगी तथा रूढ़िवादिता जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

ग्राम विकास के विषय पिछले कुछ दशकों से सरकार एवं लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं जिसका मुख्य कारण जन जागरूकता है। वर्तमान में विकास सम्बन्धी जागरूकता में वृद्धि हुई है ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की रुचि इस बात का परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ विकासशील जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है जिसके लिए बेहतर जीवन की स्थिति को उपलब्ध कराने के लिए क्रमबद्ध विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देश में भी ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए 1950 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुवात की गयी जिसका उद्देश्य विकास कार्यों में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना था।

सामुदायिक विकास सम्पूर्ण समुदाय के चतुर्दिक विकास की ऐसी पद्यति है जिसमें जन सहभागिता के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। कार्ल टेलर (1995) के अनुसार सामुदायिक विकास वह तरीका है जिसके द्वारा वे लोग जो स्थानीय गाँवों में रहते हैं, अपनी आर्थिक एवं सामाजिक दशाओं को उन्नत करने में सहायता देने के लिए प्रवृत्त होते हैं और भौतिक उन्नति के विकास प्रभावशाली कार्यकारी समूह बनते हैं। श्रीनिवास (1977) ने इस बात पर बल दिया कि गाँव का पुनर्निर्माण होना चाहिए आवश्यक सुविधाएँ तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के प्रयोग से श्रम तथा गहन रोजगार का अवसर बढ़ेगा, नगरों की ओर पलायन रोकना ग्रामीण विकास का कार्यक्रम का दायित्व है। डी0एम0 नाजुडुप्पा (1981) ग्रामीण विकास की संकल्पना नवीन नहीं है यह उतनी ही प्राचीन है जितनी की कृषि,विगत वर्षों में विकसित देशों में विकास की नवीन रणनीति की खोज के लिए इस संकल्पना के संदर्भ में विचार करना एक फैशन बन गया है यह एक बहुपक्षीय सममिश्रण है जिसमें जटिल अन्योन्याश्रित संबंध पाये जाते हैं। जोडका और डिसूजा (2009) ने आई0सी0एस0एस0आर0 के चौथे सर्वेक्षण में कहा कि भारतीय ग्रामीण विज्ञान में 'ग्रामीण समाज' एवं 'कृषकीय परिवर्तन' शोध के लचीले क्षेत्र रहे हैं। समाजशास्त्रीयों एवं सामाजिक-मानव शास्त्रियों के अतिरिक्त अर्थशास्त्रियों, इतिहासविदों, लोकप्रशासन विशेषज्ञों एवं राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा भी ग्रामीण भारत पर किये गये अध्ययन महत्वपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ 1950 एवं 1960 के दशक में अनेक अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्र की ब्रिटिश परंपरा से प्रभावित रहे हैं। इन विद्वानों द्वारा किये गये क्षेत्रीय कार्य सिर्फ एक गाँव तक ही सीमित थे, तथा सहभागी अवलोकन पद्यति का प्रयोग मुख्य रूप से करते थे। सुमेश्वर ने स्माल इज ब्यूटीफुल" में यह बताने का प्रयास किया है कि गाँवों के पुनः निर्माण के अतिरिक्त हमारे सम्मुख कोई विकल्प नहीं है। गाँव के विकास से सम्बन्धित संकल्पनाओं के बारे में रुमती बासू (1995) ने अपनी पुस्तक "लोक प्रशासन संकल्पनाओं एवं सिद्धान्तों का परिचय" में यह बताने का प्रयास किया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर यदि विकास कार्यक्रम बनते हैं तो उन्हें क्रियान्वित करने में लोगों की सहभागिता होनी आवश्यक है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिना जन सहभागिता के कोई भी विकास कार्यक्रम पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता इसके अतिरिक्त जन जागरूकता के अभाव में भी लोगों द्वारा विकास योजनाओं का लाभ नहीं लिया जा रहा है। मैण्डेलबॉम (1987) ने कहा है कि निम्न कोटि की जातियों का जो मुख्यतया भूमिहीन मजदूर हैं भूसिंचन योजनाओं तथा भूमि के पुनर्विभाजन से कोई लाभ नहीं पहुँचता। उनके पास काम आरम्भ करने के लिए कोई साधन नहीं होते हैं, कोई चीज उनके पास नहीं है जिसको वे उन्नत कर सकें। इस प्रकार आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से उनको कोई लाभ नहीं पहुँचता है।

दुबे (1958) कहते हैं कि ग्रामीण विकास में सरकारी अभिकरणों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, सरकार तन्त्र अपरोक्ष रूप से ग्राम्य संरचना में उच्च सामाजिक-आर्थिक सदस्यों के सम्पर्क में अधिक रहता है जिससे विकास सम्बन्धी सूचना या सहायता उच्च स्तर के सदस्यों को अपेक्षाकृत आसानी से प्राप्त हो जाती है।

सन् 50 का दशक भारतीय स्वतन्त्रता के प्रारम्भ का दशक था। सर्वत्र विकास एवं परिवर्तन की माँग थी चूँकि देश की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी जो आदिवासी थे और गैर आदिवासी भी। स्वतन्त्र भारत की सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी। सामुदायिक विकास योजनाओं का राष्ट्रव्यापी अभियान चला। गाँव के विकास के लिए पहली आवश्यकता थी कि उनकी वर्तमान स्थिति का आंकलन किया जाए और हर क्षेत्र की विशिष्ट अनुभूत कमियों को दूर करने के लिए प्राथमिकताएँ निश्चित की जाएँ। यह भी कि ज्यों-ज्यों विकास आगे बढ़े त्यों-त्यों उसका मूल्यांकन भी किया जाए। पिछले वर्षों में हमारे ग्रामीण भारत में जनसंख्या का प्रतिशत कम होता गया किन्तु आज भी हमारा देश

अधिकांश गाँवों में बसता है और ग्रामीण भारत के बदलते स्वरूप की संक्रमण की वर्तमान स्थिति में अध्ययन की आवश्यकता बरकरार है। (योगेश अटल ,2012)

त्रिलोक सिंह ने अपने लेख "इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट" (कुरुक्षेत्र) में स्पष्ट किया है कि किसी राष्ट्र का विकास ग्रामीण क्षेत्र में निर्भर करता है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास या उत्थान के लिए योजनाएँ क्रियान्वित की जाती हैं। ग्रामीण विकास का अर्थ केवल उत्पादन मात्रा व दर में वृद्धि से नहीं है बरन कुछ भी उत्पादन हो, उस वितरण की सुनिश्चिता से है। जिससे आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति हो सके।

ग्रामीण समाज के अध्ययन दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। प्रथम वे जो मार्क्सवादी परंपरा से संबन्धित हैं तथा इनके अन्तर्गत ग्रामीण विकास का विश्लेषण मौलिक व्यवस्थात्मक परिवर्तन की मार्क्सवादी व्यवस्था पर आधारित है। क्रान्तिकारी पद्यति के माध्यम से मौलिक प्रगति को ग्रामीण विकास का आधार मानकर अनेक अध्ययन किये गये हैं, जैसे ए.आर.देसाई (1968), कथलीन गफ एवं शर्मा (1973), एस आर फ्रैंकल (1978), एम.जे.अलावी (1966), जी अधिकारी 1964, मिली बैण्ड (1969) आदि। दूसरी ओर परम्परावादी विचारकों जैसे गाँधी (1964), पटेल (1980), मैण्डम बॉम (1983), एस.सी. दुबे(1958), जैन(1976), तथा घनश्याम शहर (1983), आदि ने ग्रामीण विकास की व्याख्या की है। (पाण्डे : 2000)।

### अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

गाँव को यदि विकास की दृष्टि से देखा जाए तो हम पायेंगे कि देश के अधिकांश ग्राम शहरों की तुलना में बहुत पीछे हैं, लाखों लोग आज भी निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। गाँव में आज भी अधिकांश लोग अशिक्षित हैं। अंधविश्वास व धर्मान्धता के कारण उनमें परिवर्तन लाना मुश्किल है, यद्यपि गाँवों एवं ग्रामीण जनता के विकास एवं उन्नयन हेतु समय-समय पर अनेक योजनाएँ निर्मित तथा परिचालित की जा रही हैं। ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास योजना से लेकर समुचित विकास कार्यक्रम तक अनेक विकास कार्यक्रमों को लागू किया गया परन्तु अधिकांश ग्रामीण जनता इन कार्यक्रमों के प्रभावों एवं परिणामों से वंचित है क्योंकि ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं।

अतः यह आवश्यक हो जाता है कि ग्रामीण विकास से सम्बन्धित योजनाओं का मूल्यांकन किया जाए साथ ही इन विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाए एवं ग्रामीण जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए ग्रामीण जनता का सक्रिय सहयोग लिया जा सके जिससे कि विकास कार्यक्रम अपने लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त कर सकें। इस कारण इस विषय पर शोध किया जाना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हो जाता है। इस शोध द्वारा ग्रामीण विकास की धरातलीय स्थिति का पता लगाने के साथ ही विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की ओर भी ध्यान इंगित किया जा सके।

### अध्ययन के उद्देश्य

प्रत्येक शोध कार्य किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होता है इसी प्रकार प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं—

- 1— ग्रामीण जन जीवन पर सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों का प्रभाव ज्ञात करना।
- 2—ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों पर जन जागरूकता एवं प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना।

3-ग्रामीण क्षेत्र में विकास की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना ।

### शोध पद्धति –

प्रत्येक शोध कार्य को करने से पूर्व शोध पद्धति का निर्धारण अति आवश्यक हो जाता है ,प्रस्तुत शोध हेतु उद्देश्यपूर्ण निर्देशन के आधार पर अध्ययन हेतु 100 परिवारों का चयन किया गया है। 100 सूचनादाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा सूचनाएँ संकलित की गयी हैं। इन सूचनादाताओं में घर के मुखिया,युवा,स्त्री-पुरुष इत्यादि शामिल है। अध्ययन हेतु प्राथमिक श्रोत के रूप में साक्षात्कार अनुसूची,अवलोकन,शोधप्रविधियों का प्रयोग किया गया हैं इसके अतिरिक्त शोध विषय पर उपलब्ध साहित्य,सरकारी प्रलेख,विभिन्न सरकारी रिपोर्ट एवं जनगणना सूची,ब्लॉक/तहसील कार्यलय के रिकार्ड तथा इन्टरनेट द्वारा द्वितीयक आंकड़ों का संकलन किया गया है।

यह शोध अध्ययन उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ जिले के विण विकासखण्ड के ग्राम सुवाकोट में किया गया है। किसी भी शोध कार्य के लिए उस क्षेत्र के निवासियों या सामाजिक समूहों का अध्ययन व अवलोकन करना आवश्यक है ताकि उस अध्ययन क्षेत्र एवं वहाँ के निवासियों के विविध पक्षों को जाना व समझा जा सके ।

### जिला पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड के सबसे पूर्व में स्थित जिला पिथौरागढ़ प्राकृतिक रूप से उच्च हिमालयी पहाड़ियों, बर्फ की ढकी चोटियों,दरों ,घाटियों,जंगलो,बारहमासी नदियों, ग्लेशियरों ओर झरनों से घिरा हुआ है जिले की सम्पूर्ण उत्तरी एवं पूर्वी सीमाएँ अन्तराष्ट्रीय हैं। 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ की 30 पट्टियों एवं अल्मोडे की 2 पट्टियों को मिलाकर पिथौरागढ़ जिले का गठन किया गया । पिथौरागढ़ का पुराना नाम सोरघाटी है,सोर शब्द का अर्थ होता है सरोवर। यह माना जाता है कि पहले इस घाटी में 7 सात सरोवर थे। सरोवर का पानी सूखने से इस स्थान पर पठारी भूमि का जन्म हुआ,जिससे इस जगह का नाम सोरघाटी पड़ा। यह भी मान्यता है कि यहाँ राय पिथौरा की राजधानी होने के कारण उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम पिथौरागढ़ पड़ा।

पिथौरागढ़ जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर है जिले मे 12 तहसील एवं 8 विकासखण्ड है।

जिला मुख्यालय से 8.8 किमी० की दूरी पर झूलाघाट रोड के किनारे पर बसा गाँव सुवाकोट है जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2036 है जिसमें 1020 पुरुष एवं 1016 महिलाएँ हैं।

ग्राम सुवाकोट की सामाजिक पृष्ठभूमि- किसी भी ग्राम की सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व के रूप में विवाह,परिवार एवं नातेदारी संरचना को माना जाता है। सुवाकोट में एकाकी एवं संयुक्त दोनों तरह के परिवारों का अस्तित्व है परन्तु संयुक्त परिवारों की तुलना में एकाकी परिवारों की संख्या अधिक है समय के साथ –साथ एकाकी परिवारों की संख्या मे वृद्धि हुई है। परिवारों में बटवारे की प्रवृत्ति बढ़ जाने से लोग अब पैतृक घरों में रहने के बजाए गाँव में ही दूसरे स्थान पर अपना निजी मकान बनवाने लगे है जिसमें वे अपने को अधिक सहज एवं स्वतन्त्र महसूस करते है। गाँव में पितृवंशीयता,पितृस्थानीयता ही पाई जाती है जो कि पितृसत्तात्मक समाज का परिचायक है। गाँव में अपनी ही जाति में विवाह की प्रथा प्रचलित है। अधिकांश विवाह प्रायः माता-पिता अथवा घर के बड़ों की इच्छानुसार ही तय किये जाते है,परन्तु धीरे-धीरे प्रेम विवाह का प्रचलन भी बढ़ने लगा है।

### धार्मिक व्यवस्था

ग्राम सुवाकोट में मुख्यतः हिन्दू धर्म के लोग ही निवास करते हैं। गाँव में छोटे बड़े सब मिलाकर 9 मन्दिर हैं, ग्राम वासियों में अनेक अंधविश्वासों का प्रचलन आज भी पाया जाता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर उसे अस्पताल के साथ-साथ झाड़ फूक करने वालों के पास भी ले जाया जाता है। कभी-कभी परिवार पर आयी परेशानी को पूर्वजों एवं देवी-देवताओं के प्रकोप से जोड़ते हुए पूछ (जिसे स्थानीय भाषा में गन्त कहा जाता है) करने वाले के पास जाकर परेशानी के सामाधान स्वरूप पूजा पाठ भी किया जाता है। सभी ग्रामवासी धार्मिक अवसरों पर देवी-देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं तथा सभी त्यौहार भी मनाते हैं सभी में देवी-देवताओं के प्रति आस्था देखी जाती है।

### आर्थिक स्थिति

ग्राम सुवाकोट के निवासियों की आर्थिक स्थिति औसत स्तर की है यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। कृषि में मुख्यतः गेहूँ,धान,सरसों,मशूर,मक्का उडद ,मडवा ,सोयाबीन आदि की खेती की जाती है, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि होने के कारण लोग अब कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों की ओर भी उन्मुख होने लगे हैं ग्राम में करीब 50 प्रतिशत आवादी से प्रत्येक परिवार से कोई न कोई व्यक्ति सेना में कार्यरत है कुछ व्यक्तियों द्वारा झूलाघाट रोड मार्ग के अन्तर्गत वड्डा नामक स्थान पर अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोले गये हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग सरकारी सेवाओं में भी कार्यरत हैं।

### जातिसंरचना

यह एक बहुजातीय ग्राम है यहाँ विभिन्न जातियों का अस्तित्व पाया जाता है परन्तु क्षत्रिय जाति मुख्य रूप से पायी जाती है। क्षत्रियों के अतिरिक्त गाँव में ब्राह्मण,अनुसूचित जाति के लोग भी निवास करते हैं।

### विकास कार्यक्रम

गाँव में विकास हेतु अनेक सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिनका मुख्य उद्देश्य लोगों की सामाजिक,आर्थिक एवं सभी पक्षों का विकास करना है जिसके लिये वर्तमान में मनरेगा,मिड डे मील ,सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, घर-घर नल घर-घर जल ,इन्दिरा आवास योजना,राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन,विकलांग पेंशन योजना आदि अनेक विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का भिन्न-भिन्न वर्गों पर भिन्न-भिन्न रूपों में प्रभाव पड़ा है। जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है परन्तु अभी भी सभी योजनाओं का अपक्षित लाभ लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। जिससे विकास योजनाओं से सम्बन्धित आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सके हैं।

### विकास योजनाओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन

प्रस्तुत शोध कार्य में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया गया है। विकास योजनाओं के मूल्यांकन के लिये साक्षात्कार अनुसूचि के द्वारा विकास योजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर सूचना दाताओं से प्रश्न पूछे गये सूचनादाताओं द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जो भी तथ्य सामने आये उनका विश्लेषण इस प्रकार है-

विकास योजनाओं से लाभान्वित होने के सम्बन्ध में जब उत्तरदाताओं से पूछा गया करीब 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं से लाभान्वित होने की बात स्वीकार की गयी जिसमें मुख्य रूप से मनरेगा, अन्त्योदय योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जननी सुरक्षा योजना, घर-घर नल घर-घर जल योजना, गोशाला निर्माण इत्यादि योजनाओं के तहत लाभ उठाया है जिससे उनके जीवन में सुधार आया है जबकि 30 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

### विकास योजनाओं द्वारा आय में वृद्धि

ग्रामीण विकास योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करने का होता है। जीवन स्तर में सुधार व्यक्ति की आय में वृद्धि करने पर ही संभव है। विभिन्न विकास योजनाओं द्वारा सूचनादाताओं से उनकी आय में वृद्धि संबंधी जो भी तथ्य प्राप्त हुए उनमें 61 प्रतिशत सूचनादाता स्वीकार करते हैं कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं द्वारा उनकी आय में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य हुई है जिसमें मुख्य रूप से मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करने वाले उत्तरदाता सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि भी उनकी आय में वृद्धि के साथ-साथ कृषि कार्य हेतु सहयोग प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त 59 प्रतिशत सूचनादाता (वृद्ध पुरुष स्त्री) ऐसे हैं जो या तो स्वयं या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किसी न किसी पेंशन योजना का लाभ लिया जा रहा है। जबकि 39 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि विकास योजनाओं द्वारा उनकी आय में कोई प्रभाव नहीं पडा है।

### शिक्षा का स्तर एवं विकास योजनाएं

शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी राष्ट्र के विकास का आकलन करते समन उस राष्ट्र की साक्षरता दर को भी एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 76.31 प्रतिशत है। ग्राम सुवाकोट में पुरुषों की साक्षरता दर 95.85 प्रतिशत है जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 84.45 प्रतिशत है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही सरकार द्वारा हमेशा ही यह प्रयास किये जाते रहे कि देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो और वे अपना सर्वांगीण विकास करके देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। जिसके लिए सरकार द्वारा समय-समय पर शिक्षा से सम्बन्धित उनके योजनाएं एवं प्रावधान लागू किये गये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास हो सके। 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना है कि सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयत्नों के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में विकास अवश्य हुआ है। जबकि 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि शिक्षा का विकास नहीं हुआ है न ही शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार हुआ है। 5 प्रतिशत उत्तरदाता ने इस सम्बन्ध में कोई भी उत्तर नहीं दिया।

### ग्राम में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर

95 प्रतिशत सूचनादाता यह मानते हैं कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं। अब गर्भवती स्त्रियों की देखभाल भी अच्छे से की जाने लगी है समय-समय पर गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच करायी जा रही है। गाँव में नियुक्त आशा द्वारा गर्भवती स्त्रियों को आयरन इत्यादि की गोलियाँ उपलब्ध कराये जाने की साथ-साथ गर्भवती स्त्रियों के स्वास्थ्य पर भी निगरानी रखी जा रही है। अब प्रसव नियमित रूप से अस्पताल में ही करवाया जाने लगा है। शिशुओं को नियमित टीके लगाने लगे हैं,

वर्तमान में गाँव में शिशु मृत्यु दर शून्य है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टी0वी0 जैसे गम्भीर रोगों के उपचार के लिए निशुल्क डाट्स की सुविधा उपलब्ध है। 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा पता नहीं मं उत्तर दिया गया। गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं से सभी उत्तरदाता संतुष्ट दिखायी दिये।

### ग्रामीण विकास में विभिन्न संस्थाओं का योगदान

93 प्रतिशत सूचनादाताओं के द्वारा बताया गया कि उनके गाँव में विकास कार्यक्रमों का संचालन सरकारी/संगठनों जैसे पंचायती राज संस्था इत्यादि के द्वारा ही किया जाता है। गाँव में गैर सरकारी संगठनों अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं का अस्तित्व ही नहीं है गाँव में किसी भी स्वयं सेवी संस्था द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया जाता है। वहीं 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जवाब था कि उनको इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। इसका कारण जानकारी का अभाव या विकास कार्यक्रमों के प्रति ज्यादा रुचि आदि न होना आदि हो सकते हैं।

### ग्रामीण विकास में सर्वाधिक प्रभावी योजना

70 प्रतिशत सूचनादाताओं का मानना है कि ग्रामीण विकास के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना मनरेगा है क्योंकि इस योजना द्वारा गाँव में रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं साथ ही साथ निर्माण कार्यों को भी गति प्राप्त हुई है। जबकि 30 प्रतिशत सूचनादाताओं द्वारा मनरेगा,सर्वशिक्षा अभियान,राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, को संयुक्त रूप से ग्रामीण विकास के लिए प्रभावी योजनाएं माना है क्योंकि इनसे शिक्षा स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र में कल्याणकारी परिवर्तन हुए हैं और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हुए हैं। इसके अतिरिक्त सभी उत्तरदाताओं द्वारा अन्य विकास कार्यक्रमों जैसे इन्द्रा आवास योजना, राष्ट्रीय विधवा एवं वृद्धा अवस्था पेंशन योजना ,विकलांग पेंशन योजना,किसान पेंशन, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, घर-घन नल जल योजना, इत्यादि सभी योजनाओं को ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक एवं प्रभावी माना है।

### ग्रामीण विकास एवं मनरेगा

70 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि मनरेगा का प्रभाव रोजगार के क्षेत्र में व्यापक रूप से पडा है। मनरेगा के तहत लोगों को निश्चित दर पर अपने ही क्षेत्र में काम मिल जाता है। 30 प्रतिशत सूचनादाताओं के अनुसार मनरेगा के द्वारा गाँव में निर्माण कार्य होने लगे हैं। गाँव में नालियों, खडन्जों, सुरक्षा दीवार जलाशयों,गौशाला निर्माण आदि कार्य मनरेगा द्वारा किये जा रहे हैं। जिससे निर्माण कार्यों में वृद्धि हुई है। सभी उत्तरदाताओं का यह कहना है कि मनरेगा के द्वारा कृषि कार्यों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पडने पर जरूरत मन्दों को नियत मजदूरी में कार्य करने हेतु मजदूर उपलब्ध हो सके।

### विश्लेषण

इस प्रकार उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्रामीण विकास योजनाओं का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगत होते हैं –

ग्राम में चयनित 100 उत्तरदाताओं में से 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि वे विभिन्न विकास योजनाओं द्वारा लाभान्वित हुए हैं। सरकार द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल विद्युत,रोजगार आदि क्षेत्रों का विकास करने हेतु संचालित की जा रही अनेक योजनाओं द्वारा वे लाभान्वित हुए हैं जबकि 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वे लाभान्वित नहीं हुए हैं। विकास योजनाओं से कई क्षेत्रों में

काफी प्रगति तो हुई है परन्तु ग्रामीण गरीबों वंचित वर्गों को इन योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल सका है।

61 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि रोजगारपरक, ऋण एवं अनुदान सम्बन्धी योजनाओं के फलस्वरूप उनकी आय में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि हुयी है। गरीब, भूमिहीन, मजदूर इत्यादि मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त कर रहे हैं तो वहीं कृषक भी किसान पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। जबकि 39 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुयी है। जिसका तात्पर्य यह है कि विकास योजनाओं का लाभ अभी भी सम्पूर्ण ग्रामवासियों तक नहीं पहुँच पा रहा है जिसके लिए अभी भी अनेक प्रयास किये जाने बाँकी है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की अधिकांश उत्तरदाताओं द्वारा सराहना की गयी और यह माना गया कि इन प्रयासों द्वारा शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित शिक्षा व्यवस्था का अभाव होने के कारण पहले अनेक बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे परन्तु सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मील, प्राथमिक विद्यालयों की सूचना, शिक्षा का अधिकार कानूनों के परिणाम स्वरूप अब प्रत्येक बच्चा स्कूल जाने लगा है। विशेषतः स्त्री शिक्षा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है शिक्षा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहे हैं और उनके द्वारा शिक्षा के महत्व को समझा जा रहा है। जबकि कुछ उत्तरदाता शिक्षा के स्तर से असंतुष्ट हैं उनका मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में परिमाणात्मक वृद्धि तो अवश्य हुयी है किन्तु गुणात्मक वृद्धि अपेक्षाकृत कम है। उनका मानना है कि शिक्षा केवल डिग्री लेने तक ही सीमित हो गई है।

95 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पहले की अपेक्षा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और वे पहले से बेहतर हुई है। टी0वी0 जैसे खतरनाक रोगों का इलाज अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ही निःशुल्क उपलब्ध हो जाता है। पहले इन रोगों के प्रति जागरूकता न होने एवं समुचित उपचार उपलब्ध नहीं होने के कारण कम उम्र में ही लोगों की मृत्यु हो जाती थी। साथ ही आजकल गर्भवती स्त्रियों के स्वास्थ्य पर भी अतिरिक्त ध्यान दिया जाने लगा है जिसमें आशा कार्यकर्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा ऑगनबाडी कार्यकर्तियों के माध्यम से भी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी सलाह उपलब्ध कराई जाती है। अब लोग घरों की बजाय अस्पतालों में ही गर्भवती स्त्रियों का प्रसव करवाने लगे हैं। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के फलस्वरूप लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढी है इसके अतिरिक्त आपातकाल की स्थिति में 108 एम्बुलेंस सेवा की भी सूचनादाताओं द्वारा काफी सराहना की गयी और यह माना की यह सरकार का एक सराहनीय कदम है। वहीं 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह कहा कि वे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते कि स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर हुई है अथवा नहीं।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक गैर-सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठन विकास के क्षेत्रों में काफी कार्य कर रहे हैं परन्तु अब भी कई गाँव तक उनकी पहुँच नहीं है ग्राम सुवाकोट में कोई भी स्वैच्छिक संगठन नहीं है। गाँव के विकास कार्यक्रम केवल सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। यदि गैर सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों की पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों तक हो जाती है तो वह भी विकास कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं एवं ग्रामीण विकास को गति प्रदान कर सकते हैं।

ग्रामीण विकास की सबसे प्रभावशाली योजना के बारे में 70 प्रतिशत सूचनादाताओं द्वारा मनरेगा को ग्रामीण विकास की दिशा में सर्वाधिक प्रभावी एवं क्रान्तिकारी योजना माना है उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा द्वारा अपने ही क्षेत्र में काम, सुनिश्चित रोजगार एवं निर्माण कार्य आदि सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रहीं हैं। वहीं 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा आदि सभी



विकास योजनाओं को प्रभावी माना है। सभी विकास योजनाएँ ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करने हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परन्तु अभी भी अनेक ऐसी योजनाएँ हैं जिनका लाभ सभी ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पा रहा है। जिस कारण अभी भी योजनाओं के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु उनमें कुछ सुधार अपेक्षित है जिससे सभी ग्रामीण इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें और सरकार द्वारा जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजनाओं का निर्माण किया गया है उनकी पूर्ति हो सकें और ग्रामीण विकास के द्वारा राष्ट्र का विकास सम्भव हो सके।

2 फरवरी 2006 को 200 जिलों से शुरू की गयी मनरेगा योजना के प्रति लोगों के सकारात्मक सोच को देखते हुए इसे 1 अप्रैल 2008 तक भारत के सभी जिलों में इस योजना को लागू कर दिया गया जिसका उद्देश्य न्यूनतम निर्धारित मजदूरी पर अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु तैयार किसी भी ग्रामीण को रोजगार की गारण्टी प्रदान करना है। ग्रामीण रोजगार एवं गरीबों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता का यह पहला कार्यक्रम है जिसके द्वारा ग्रामीण का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। मनरेगा के प्रभाव को लेकर सभी लोगों के मतों में भिन्नता है। 70 प्रतिशत सूचनादाताओं का यह मानना है कि मनरेगा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा है जिस कारण बेरोजगारी कम हुई है तथा गाँव से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगा है साथ ही अकुशल श्रमिकों को भी रोजगार मिला है। जबकि 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं का ये मत है कि मनरेगा के द्वारा निर्माण कार्यों में वृद्धि हुई है इसके द्वारा ग्रामों में अनेक निर्माण कार्य हो रहे हैं।

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या, सीमित संसाधन होने के बावजूद वर्तमान में ग्रामीण विकास को बुनियादी ढाँचा खड़ा हो चुका है ग्रामों में विकास कार्यों हेतु अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होने चाहिए जिसके लिए सरकार द्वारा प्रयत्न किये जाने चाहिए। ग्रामीण विकास से सम्बन्धित जो भी योजनाएँ बनायी जाएँ उनके मानकों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक समुदाय को प्राप्त हो सके। ग्रामीण स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों का होना भी अतिआवश्यक है ताकि विकास कार्यों में जनता की सहभागिता भी सुनिश्चित हो सके। ग्रामीण विकास सम्बन्धी जो भी नीतियाँ हैं उनको जनसंख्यात्मक लक्ष्य प्राप्त करने के साथ-साथ जागरूकता भी उत्पन्न करनी चाहिए। ग्रामीण विकास के लक्ष्य व्यक्ति की भावात्मक एकता से भी जुड़े होने चाहिए। ग्रामीण विकास योजनाओं में नौकरशाही हावी नहीं होनी चाहिए बल्कि जनसहभागिता एवं सामंजस्य द्वारा विकास कार्यों को किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण विकास से सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त हो सकें।

## सन्दर्भ सूची

अटल, योगेश .2012

“भारतीय गाँव : आज का सन्दर्भ” मानव, सं0 30

नं0 1 और 2

दुबे एस सी 1958

इण्डियाज चेंन्जिंग विलेजेज लन्दन, रॉटलेज एण्ड बॉम्बे एलाइड पब्लिकेशन

नाजुडुप्पा डी0एम0 1981

एरिया प्लानिंग एण्ड लोकल डेवलपमेंट मेण्डेलबाम, डी0जी 1987 सोशल ऑर्गनाइजेशन एण्ड प्लान्ड चेन्ज इन इण्डिया

इन ए,आर देसाई(संपा) रूरल सोसियोलॉजी इन इण्डिया  
बाम्बे एलाइड पब्लिकेशन

टेलर कार्ल सी 1995

कुरुक्षेत्र वाल्यूम 5 दिसम्बर 1995 दिल्ली

श्रीनिवास,एम.एन.1977

रिपलैक्शन ऑन रूरल डेबलपमेंट, कुरुक्षेत्र,जून अंक 16

सिंह त्रिलोक 1977

इंटीग्रेटेड रूरल डेबलपमेंट (कुरुक्षेत्र) पी0 18

पाण्डे प्रेम नारायण 2000

ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन,जयपुर रावत  
पब्लिकेशन ।

